सशक्त पंचायत सतत् विकास

unicef for every child

मध्यप्रदेश पंचायत स्थानीय स्व शासन

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

ग्राम पंचायत में महिला सभाओं के संस्थागत स्वरुप हेतु दिशानिर्देश

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

unicef

विषय सूची

1. परिचय
2. ग्राम पंचायतों में महिला सभाओं को संस्थागत स्वरूप देने हेतु दिशानिर्देश
3. अनुलग्नक 1: ग्राम पंचायतों में महिला सभा को संस्थागत स्वरूप देने हेतु रोल-आउट योजना

परिचय

सतत विकास के लक्ष्य (SDG) 'वैश्विक लक्ष्य' के रूप में जाने जाते है । संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में भारत भी सतत विकास के 17 लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है । ग्राम पंचायत तक स्थानीय स्तर पर इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इन लक्ष्यों को 9 थिमेटिक विषयो में समाहित किया गया है।

ये दिशानिर्देश, विषय 9-महिला हितैषी ग्राम के अंतर्गत संचालित स्थानीय अभियान का समर्थन करते हैं। यह अपेक्षा है कि इन दिशानिर्देशों को राज्यों द्वारा स्थानीय संदर्भ के अनुसार अपनाया जायेगा। ये ग्राम पंचायतों की यह सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे कि महिलाओं एवं किशोरियों के अधिकारहीन समूहों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, तथा विकास कार्यक्रमों को अधिक समावेशी बनाने के लिये उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं व दृष्टिकोणों पर विचार किया जाय।

ग्राम पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये नौ विस्तृत विषय

- थीम – 1 गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गाँव
- थीम – 2 स्वस्थ गाँव
- थीम – 3 बाल हितैषी गाँव
- थीम – 4 पर्याप्त जल युक्त गाँव
- थीम – 5 स्वच्छ एवं हरा-भरा गाँव
- थीम – 6 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गाँव
- थीम – 7 सामाजिक रूप से सुरक्षित एवं न्याय संगत गाँव
- थीम – 8 सुशासन वाला गाँव
- थीम – 9 महिला हितैषी गाँव

ग्राम पंचायतों मे महिला सभाओ को संस्थागत स्वरूप देने हेतु दिशानिर्देश

महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व, सुशासन के प्रमुख पहलू हैं जो एक कार्यकुशल, पारदर्शी एवं उत्तरदायी क्रियान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करते समय समाज के सर्वाधिक गरीब वर्गों की आवश्यकताओं उनकी भागीदारी एवं निर्णय को सम्मलित करते हैं। एक समतापूर्ण समाज की संरचना करने और शासन व निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत सरकार की प्रतिबद्धता को विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में शामिल किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी के प्रावधानों के अनुसार, त्रि-स्तरीय पंचायतों में उपलब्ध कुल सीटों की एक तिहाई संख्या महिलाओं के लिये अवश्य ही आरक्षित होनी चाहिये। अब तक इक्कीस राज्यों ने ऐसे प्रावधान के अनुकूल एवं बढ़ कर , राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से, पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई) में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत सीटों का आरक्षण कर दिया है।

भारत में महिलाओं के लिये प्रावधान:-

01 महिलाओं हेतु ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 2016

02 'महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर सम्मेलन (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू)' के हस्ताक्षरकर्ता

03 पी.आर.आई हेतु 29 हस्तांतरित विषयों में एक विषय 'महिला एवं बाल विकास' का समावेशन

04 14 वें एवं 15 वें वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को धन का हस्तांतरण

05 लोगों की योजना अभियान अथवा जी.पी.डी.पी

06 पंचायत-महिला एस.एच.जी सम्मेलन

07 पंचायतों के माध्यम से एस.डी.जी का स्थानीयकरण

08 महिला सभाओं के आयोजन का औचित्य

पी.आर.आई में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व को लेकर हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बाद भी, पिछले 3 वर्षों के जी.पी.डी.पी और व्यय के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जब बजट आबंटन और पंचायतों द्वारा किए गए व्यय की बात आती है तो महिला और बाल विकास सबसे कम प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना रहता है। इससे यह भी पता चलता है कि यहां जी.पी.डी.पी और ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने, महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता देने, महिलाओं के लिये उपयुक्त बजट आबंटित करने तथा महिला एवं बाल विकास हेतु जी.पी.डी.पी में स्थिर गतिविधियां शामिल करने के मामले में जमीनी स्तर पर शासन को महिलाओं के अधिक अनुकूल बनाने हेतु ग्राम पंचायत (जी.पी) स्तर पर प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अत्यधिक सशक्त करने की आवश्यकता है। इसलिये, ग्राम पंचायतों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कि वे एक ऐसा समर्थ वातावरण बनायें, जिसमें महिलाएं बिना किसी डर के सामूहिक रूप में शासन और जी.पी.डी.पी प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी कर सकें और स्थानीय शासन को लैंगिक रूप में अधिक परिवर्तनगामी बनाने के लिए ग्राम पंचायतों के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न उठा सकें।

पंचायती राज मंत्रालय (एम.ओ.पी.आर) ने स्थानीय स्तर पर कार्य प्रारंभ करने और पंचायतों के माध्यम से एस.डी.जी प्राप्ति करने के क्रम में, 17 एस.डी.जी को नौ व्यापक विषयों से जोड़ने का एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है। चूंकि लैंगिकता का विषय परस्पर जुड़े हुये एस.डी.जी में शामिल होता है, इसलिये महिला सभाओं का प्रभावी संचालन, विषय-9: 'महिला हितैषी ग्राम' को साकार करने के

लिए महत्वपूर्ण होगा ताकि अन्य आठ विषयों के तहत निर्धारित उपलब्धियों पर गुणात्मक प्रभाव उत्पन्न किया जा सके।

ग्राम पंचायतों में महिला सभाओं के प्रभावी संचालन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाय:-

1. महिला सभा

महिला सभा की परिकल्पना, ग्राम पंचायत की सभी महिला ग्राम सभा सदस्यों के लिए एक ग्राम पंचायत/ग्राम-स्तरीय मंच बनाने के रूप में की गई है। महिला सभाओं का आयोजन, ग्राम पंचायतों द्वारा औपचारिक ग्राम सभा बैठकों से पहले (एक वर्ष में 2-3 बार या जैसा कि राज्यों द्वारा तय किया जाता है) किया जाएगा, जिनमें ग्राम सभा की महिला सदस्यों के बीच उनसे संबंधित मुद्दों, उनकी प्राथमिकताओं, संभावनाओं पर किये जाने वाले विचार-विमर्श को सुगम बनाया जायेगा तथा विचार-विमर्श के प्रमुख बिंदुओं को जी.पी और ग्राम सभा में इस प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा ताकि जी.पी द्वारा विभिन्न प्रकार के विभागों व संस्थानों के साथ सामंजस्य स्थापित कर नियोजित कार्य- जैसे कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अवसर और रहवास की स्थितियों सहित महिलाओं को सभी प्रकार के भेदभावों, हिंसा या दुर्व्यवहारों से बचाने के कार्य- प्रारंभ हो सके। किशोरियों (10-19 वर्ष) को भी महिला सभाओं में अपना-अपना दृष्टिकोण और चिंताओं को साझा करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है ताकि उनकी चिंताओं को निवारण के लिए जी.पी और ग्राम सभा को भी भेजा जा सके। महिला सभा और ग्राम सभा के आयोजनों के बीच कम से कम 15 दिनों का अंतराल होना चाहिए ताकि महिला सभा में उठाये गये मुद्दों/संकल्पों को ग्राम सभा के अंतिम रूप में तय विषय में शामिल किया जा सके और बाद में जी.पी.डी.पी में भी शामिल किया जा सके। और जहां वार्ड सभाएं/पल्ली सभाएं, जी.पी.डी.पी और पंचायत शासन पर चर्चा करने व निर्णय लेने के लिए प्रमुख मंच हैं, वहां वार्ड-स्तरीय महिला सभाओं का आयोजन भी किया जा सकता है।

2.महिला सभाओं का आयोजन करने के उद्देश्य

महिला सभाओं का आयोजन करने के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

मुख्य उद्देश्य

महिलाओं के लिये एक संगठित बैठक मंच/फोरम उपलब्ध कराना, जिसमें वे अपनी समस्यायें सामूहिकता से रख सकें, उनकी पहचान कर सकें, उन पर विचार-विमर्श कर सकें, प्राथमिकतायें तय कर सकें और उपयुक्त कार्रवाइयों हेतु इन्हें ग्राम सभा एवं जी.पी के सामने रख सकें।

अनुसूचित जाति (एस.सी), अनुसूचित जनजाति (एस.टी), अल्पसंख्यक, दिव्यांग तथा अन्य गरीब वर्गों की महिलाओं सहित जी.पी की सभी महिलाओं को स्थानीय नियोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सोद्देश्यपूर्ण तरीके से भागीदारी करने हेतु एक समान अवसर उपलब्ध कराना।

3.महिलाओं के लिये धन का प्रावधान

राज्य सरकारें, जी.पी.डी.पी के तहत अधिक महिला केंद्रित गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए उपलब्ध केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान और विभिन्न योजना बद्ध निधियों के सामंजस्य के विमुक्त घटक से धन का प्रावधान करने के लिए ग्राम पंचायतों को सलाह दे सकती हैं। महिला सभाओं के संचालन के लिए ग्राम पंचायत की अपनी निधि, 15 वें वित्त आयोग के तहत प्रशासनिक व्यय हेतु निर्धारित या किसी अन्य उपयुक्त निधि का उपयोग किया जा सकता है।

4.महिला सभाओं के कार्य

- स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणाहार, आजीविका, भेदभाव, सुरक्षा एवं संरक्षण, घरेलू या अन्य प्रकार की हिंसा, इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श करना तथा उन्हें ग्राम सभा, जी.पी और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के संज्ञान में लाना।
- जी.पी तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के सहयोग से ग्राम सभा, जी.पी.डी.पी प्रक्रिया तथा अन्य अनेक सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं में भागीदारी करने के लिये महिलाओं के मध्य जागरूकता एवं प्रेरणा उत्पन्न करना।
- महिला सभाओं में लिये गये संकल्पों को ग्राम सभा में तथा जी.पी के सम्मुख प्रस्तुत करना ताकि जी.पी द्वारा जी.पी.डी.पी में महिला एवं बाल विकास से संबंधित गतिविधियां शाामिल की जा सकें और इनके लिये उपयुक्त बजटीय प्रावधान किये जा सकें।

5.पूर्व-महिला सभा की पहलें

महिला सभाओं की कार्यसाधकता, समग्र प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के स्वामित्व और गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। इसलिये, महिला सभाओं के सफल संगठन और संस्थागत-स्वरूपण के लिए निम्नलिखित पूर्व-महिला सभा गतिविधियां महत्वपूर्ण होंगी:-

5.1 संबंधित विषयगत 'बाल कार्यकर्ताओं' के कार्य

भारतीय संविधान ने पंचायतों को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के दोहरे कार्य करने का अधिकार प्रदान किया है। इन दोनों कार्यों को सार्थक रूप में निष्पादित करने के क्रम में, ग्राम पंचायतों को समुदाय-आधारित संगठनों (सी.बी.ओ), विशेष रूप में गरीबों के संगठनों के साथ घनिष्ठ साझीदारी कायम रखते हुये, कार्य करने की आवश्यकता है। महिला सभाओं के संदर्भ में, ग्राम सभाओं को एस.एच.जी के साथ घनिष्ठ साझीदारी कायम करने की आवश्यकता है ताकि एस.एच.जी से जुड़ी गरीब महिलाओं की अप्रत्यक्ष भागीदारी को रायशुमारियों, प्रतिक्रियाओं और आवश्यकता की अभिव्यक्ति के सक्रिय मंथन के बल पर प्रत्यक्ष भागीदारी में बदला जा सके। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई-एन.आर.एल.एम) के तहत, एस.एच.जी और संघों में संगठित 70 मिलियन से अधिक महिलाओं के साथ कायम साझीदारी महिला

सभा, ग्राम सभा और जी.पी.डी.पी की तैयारी में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों को सही मंच प्रदान करती है।

जी.पी-एस.एच.जी सम्मेलन को सशक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायतों की भूमिका:-

- एस.एच.जी और ग्राम संगठनों (वी.ओ) के तहत गरीब परिवारों को एकजुट करना
- ग्राम सभा से पहले महिला सभाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एस.एच.जी को एकजुट करना
- ग्राम सभा में भागीदारी को सशक्त करने के लिए एस.एच.जी और उनके संघों का उपयोग करना
- एस.एच.जी की समस्याओं और प्रासंगिक अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए उनके साथ नियमित बैठकें करना
- जी.पी.डी.पी प्रक्रिया में एस.एच.जी तथा उनके संघों का सक्रिय उपयोग करना:
  - सामाजिक जुड़ाव हेतु
  - सहभागी नियोजन दलों के सदस्यों के रूप में
  - सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए) अभ्यासों के संचालन हेतु
  - एस.एच.जी द्वारा तैयार ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरण योजना (वी.पी.आर.पी) का जी.पी.डी.पी में एकीकरण करने हेतु
- एस.एच.जी को अवसर प्रदान करना ताकि वे जलाशयों, कॉमन भूक्षेत्रों, बाजारों जैसी सामुदायिक परिसंपत्तियों में अपने आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिये कार्य कर सकें और बढ़े हुये अवसर प्राप्त कर सकें
- जनसामान्य तक जानकारी पहुंचाने, विशेष रूप में व्यवहारगत परिवर्तन का संचारण-प्रसारण करने, लक्षित समूहों तक विकासपरक कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी का प्रसार करने के लिए एस.एच.जी का उपयोग करें।
- समुदाय-आधारित निगरानी, उचित शुल्क पर सेवाओं की प्रदायगी के लिए स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी) का उपयोग करना।

जी.पी-एस.एच.जी सम्मेलन के सशक्तिकरण में एस.एच.जी एवं उनके संघों की भूमिका:-

- गरीबों की भागीदारी पहचान (पी.आई.पी) संचालित करने के लिए जी.पी के साथ कार्य करना और ग्राम सभा में प्रक्रिया का समर्थन करना।
- संयुक्त मांगों के साथ ग्राम सभा से पहले महिला सभाओं में सक्रिय रूप में भागीदारी करना, विशेष रूप में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत किये जाने वाले कार्य व परिसंपत्तियों तक पहुंच बनाना और जी.पी.डी.पी से लाभांवित होना।
- एस.एच.जी की मांगों को शामिल करने के लिए जी.पी.डी.पी प्रक्रिया में सक्रिय रूप में सम्मिलित होना।
- जी.पी को प्रचार में सहायता प्रदान कर, विचार-विमर्श और प्रलेखीकरण की सुविधा देकर ग्राम सभा संचालित करने में सहायता प्रदान करना।
- जी.पी द्वारा सुझाए गये ऐसे कार्य निष्पादित करना जो लाभदायी और स्वीकार्य हों।
- ग्राम पंचायतों की सभी कार्यात्मक समितियों में भागीदारी करना।

- उचित शुल्क के भुगतान पर जी.पी द्वारा सौंपे गये सेवा प्रदायक उत्तरदायित्वों- जैसे कि मध्याह्न भोजन वितरण, घर-घर जाकर कर संग्रहण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पाइप द्वारा उपलब्ध पेयजल आपूर्ति का संचालन व अनुरक्षण, ई-सेवाएं, इत्यादि- का निर्वहन करना।
- समुदाय-आधारित निगरानी क्रियाविधियों में भागीदारी करना।
- एस.एच.जी के आजीविका आधार के रूप में जी.पी के सामान्य संसाधनों (जैसे मछली तालाब, निहित भूमि, सामान्य संपत्तियां, बाजार यार्ड, इत्यादि) तक सुविधाजनक पहुंच बनाने के लिए जी.पी के साथ मिलकर कार्य करना।
- उपलब्ध सरकारी सेवाओं और योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर जी.पी से जानकारी प्राप्त करना और उसे एस.एच.जी सदस्यों के मध्य प्रसारित करना।
- वी.पी.आर.पी तैयार करने का नेतृत्व करना।
- निर्धारित तिथियों पर ग्राम पंचायतों के साथ संयुक्त बैठक का समन्वयन करना।

5.2 स्व सहायता समूहों की ग्राम गरीबी उन्मूलन योजनाओं (वी.पी.आर.पी) का जी.पी.डी.पी में एकीकरण

विगत कुछ वर्षों में पंचायती राज द्वारा जारी संयुक्त परामर्शन के अनुसार, डी.ए.वाई-एन.आर.एल.एम के तहत आने वाले सभी एस.एच.जी और उनके संघों को वी.पी.आर.पी तैयार करने और जी.पी.डी.पी में इसका एकीकरण के लिए इसे ग्राम सभा में प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया जाता है। यह पहल, वी.ओ की संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देने और उन्हें स्थानीय स्तर पर परिवर्तित करने व परिवर्तनगामी बनाने हेतु एक 'महत्वपूर्ण जन समूह' में तब्दील होने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। जी.पी को जी.पी.डी.पी में महिलाओं की महत्वाकांक्षा परिलक्षित करने और नियोजन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये इन वी.पी.आर.पी को जी.पी.डी.पी में एकीकृत करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये।

5.3 महिलाओं को एकजुट करना

महिला सभा में भाग लेने के लिए महिलाओं के सभी वर्गों को एकजुट करना, महिला सभा की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। एकजुटता के प्रयासों को क्रियान्वित करने के दौरान, ग्राम पंचायतों द्वारा महिलाओं को महिला सभा की प्रासंगिकता, बैठक स्थल एवं समय, विचार-विमर्श में शामिल किये जाने वाले मुद्दों के बारे में, और महिला सभा में भाग लेना महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस संबंध में, जागरूक किया जाना चाहिये। महिलाओं को एकजुट करने का कार्य- महिला एस.एच.जी नेटवर्कों, घर-घर के भ्रमण, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, स्वप्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), सहायक नर्स मिड वाइफरी (ए.एन.एम), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एस.एच.जी के संसाधन व्यक्ति (आर.पी), इत्यादि , के माध्यम से किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से विनती की जा सकती है कि वे अपने संबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों/वार्डों की महिलाओं को महिला सभा में सक्रियता पूर्वक भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करें। दिव्यांग महिलाओं, अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, प्रवासी परिवारों, इत्यादि की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।

महिला सभा के विषय पर सूचना के बड़े प्रसारण माध्यम:-

- लाउडस्पीकर्स, ड्रम पीटना, स्थानीय संस्थाओं व किशोर समूहों के माध्यम से रैली
- एन.जी.ओ/सी.बी.ओ को सम्मिलित करना
- पर्चों, लघु-पत्रिकाओं का वितरण, दीवाल पर लेखन
- पुरुषों को सम्मिलित करने के लिये पुरुषों हेतु विशिष्ट संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा सकता है

6 महिला सभा का आयोजन करना

6.1 स्थान: जी.पी, महिला सभा का आयोजन करने के लिये एक उपयुक्त स्थान की पहचान कर सकती है। यह स्थान- जी.पी कार्यालय परिसर, सामुदायिक केंद्र/हॉल, स्थानीय विद्यालय परिसर अथवा महिलाओं एवं किशोरियों के लिये आसानी से उपलब्ध होने वाला कोई भी ऐसा अन्य उपयुक्त स्थान हो सकता है जहां वे संकोच व डर के बिना स्वतंत्र रूप में अपने-अपने मुद्दों पर विचार-विमर्श करने में समर्थ हों। और इस स्थान पर स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था भी अवश्य ही सुनिश्चित की जानी चाहिये।

6.2 सूचना: महिला सभा की तिथि के बारे में, जी.पी द्वारा अनुबंधित तिथि से कम से कम 15 दिन पहले अधिसूचित किया जाना चाहिये/उसकी सार्वजनिक घोषणा की जानी चाहिये। उपरोक्त विवरणितानुसार, आयोजन के बारे में महिलाओं को जागरूक करने के लिये गांव-गांव में समुचित जन-जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिये। जी.पी को महिला सभा के दौरन उपस्थित रहने के लिये पर्याप्त समय पूर्व अग्रिम में संबंधित लाइन विभागों के पदाधिकारियों को सूचित करना होगा तथा उनसे विनती करनी होगी।

6.2.1 भागीदार:

- ग्राम सभा की सभी महिलायें, जी.पी के सदस्यगण
- आमंत्रितगण - किशोरियों (10-18 वर्ष) को अपने मुद्दे उठाने के लिये आमंत्रित किया जा सकता है, लाइन विभाग के पदाधिकारीगण, पुलिसकर्मी, स्थानीय एन.जी.ओ/सिविल सोसाइटी संगठन, इत्यादि के सदस्यगण
- जी.पी अध्यक्ष/प्रधान/सरपंच, जी.पी चयनित प्रतिनिधिगण विशेष रूप में जी.पी स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, जो महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करते हैं, तथा जी.पी सचिव।

6.2.2 सुविधा एवं बैठने की व्यवस्थायेंः महिला सभा की अध्यक्षता, महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करने वाली स्थायी समिति की महिला अध्यक्ष/जी.पी अध्यक्ष के सहयोग में

ग्राम एस.एच.जी संघ के अध्यक्ष अथवा वरिष्ठ सदस्य द्वारा की जा सकती है। एक वृत्त अर्थात् सर्किल में बैठने की व्यवस्थाओं को अपनाया जायेगा तथा इस प्रकार खुलकर विचार-विमर्श के लिये एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये। विचार-विमर्श की सुविधा का निर्धारण एस.एच.जी सदस्यों, आशा अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से जी.पी अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। चूंकि यह विशिष्ट रूप में महिलाओं के लिये बनाया गया एक मंच है, इसलिये उन्हें स्वतंत्र रूप में अपने विचार प्रकट करने चाहिये और यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि इस तरह की बैठक पर जी.पी अध्यक्ष अथवा जी.पी सदस्यों, लाइन विभाग के पदाधिकारियों, अथवा केवल एस.एच.जी सदस्यों का प्रभुत्व न हो जाय। समाज के सभी वर्गों को महिला सभा के दौरान अपने-अपने विचार प्रकट करने में समर्थ होना चाहिये।

6.2.3 महिला सभा कार्यवाहियों का प्रबंधन: महिला सभा की कार्यवाहियां, निम्नानुसार प्रबंधित एवं सुविधागत विधि से सरलीकृत की जा सकती हैं:-

- स्वागत संबोधन तथा महिला सभा के उद्देश्यों का अभिवाचन, जी.पी अध्यक्ष द्वारा किया जाना है।
- प्रत्येक विषय पर एक-एक कर के विचार-विमर्श किया जाना।
- महिलाओं द्वारा उठाये जाने वाले मुद्दों पर लाइन विभाग के पदाधिकारियों तथा जी.पी द्वारा विचार-विमर्श/समाधान किया जाना चाहिये।
- आगामी जी.पी.डी.पी पर विचार-विमर्श - महिलाओं एवं बाल विकास से संबंधित बड़े कार्यों।
- बजट सहित - लागतहीनता एवं न्यून-लागत गतिविधियों - को जी.पी.डी.पी में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है।
- समापन टिप्पणियां, जी.पी अध्यक्ष द्वारा की जानी हैं।

6.2.4 महिला सभा में विचार-विमर्श का विषय: महिला सभा के विषय को, जी.पी द्वारा महिला एवं बाल विकास स्थायी समिति तथा महिला एस.एच.जी/वी.ओ के सहयोग से अग्रिम रूप में तैयार किया जा सकता है। विचार-विमर्श के बिंदुओं में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित हो सकते हैं।

विचार-विमर्श के बिंदु:-

- स्वागत संबोधन तथा महिला सभा के उद्देश्यों का अभिवाचन, जी.पी अध्यक्ष द्वारा किया जाना है।
- जी.पी की महिलाओं एवं किशोरियों द्वारा झेली जाने वाली समस्यायें (स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, आजीविका अवसर, इत्यादि से संबंधित समस्यायें)।
- सुरक्षा एवं संरक्षा, महिलाओं एवं बालिकाओं, इत्यादि के विरुद्ध होने वाली हिंसा के संबंध में महिलाओं एवं किशोरियों की चितायें।
- बाल विवाह, दहेज, डायन संबंधित पीड़ित, इत्यादि जैसी सामाजिक कुरीतियों पर विचार-विमर्श करना।

- आगामी जी.पी.डी.पी पर विचार-विमर्श - महिलाओं एवं बाल विकास से संबंधित बड़े कार्यों - बजट सहित - लागतहीनता एवं न्यून-लागत गतिवधियों - को जी.पी.डी.पी में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा, कौशल विकास एवं आजीविका विस्तार, महिलाओं के विधिक अधिकारों, महिलाओं के भूमि एवं संपत्तिगत अधिकारों, इत्यादि पर बनाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं पर विचार-विमर्श करना।
- भागीदारों की सहमति के अनुसार निर्धारित कोई अन्य मुद्दा।

जी.पी द्वारा महिला सभा की विषयवस्तु का, महिला सभा आयोजन के कम से कम 15 दिन पहले अच्छी तरह प्रसारण किया जायेगा, सार्वजनिक स्थानों पर और जी.पी कार्यालय में उसका प्रदर्शन किया जायेगा।

6.2.5 बैठक की गणपूर्ति: महिला सभा के लिये भी, ग्राम सभा में गणपूर्ति बनाये रखने के लिये राज्य पंचायती राज अधिनियम के अनुसार लागू नियमावली को अपनाया जा सकता है।

6.2.6 महिला सभा की कार्यवाहियां: जी.पी सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि महिला सभा की कार्यवाहियों का समुचित अभिलेखन (रिकार्डिंग) किया जाए, और जी.पी बैठक एवं ग्राम सभा में निर्णय इस प्रकार लिये जायें ताकि जी.पी द्वारा उन पर उचित कार्रवाइयां की जा सकें और सुझाई गईं गतिविधियों को जी.पी.डी.पी में सम्मिलित किया जा सके। महिला सभा के लिये भी, मानक ग्राम सभा उपस्थिति पंजिका का, उपस्थिति एवं कार्यवाहियों का अभिलेखन करने के लिये उपयोग किया जा सकता है।

6.2.7 महिला सभा की आवृत्ति: महिला सभा (बैठक) आयोजित करने की आवृत्ति का निर्धारण, राज्यों द्वारा स्थानीय स्थितियों के आधार पर किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में यह वांछनीय है कि ग्राम सभा की बैठकों से पूर्व एक वर्ष में 2-3 महिला सभायें (बैठकें) आयोजित की जाती हैं और जी.पी.डी.पी चक्र से जोड़ी जाती हैं ताकि महिला सभा के निर्णयों को ग्राम सभा में रखा जा सके और जी.पी.डी.पी में सम्मिलित किया जा सके। यह सुझाव भी दिया गया है कि महिला सभाओं का आयोजन निम्नांकित तिथियों पर किया जा सकता हैः-

महिला सभाओं का संचालन करने के लिये निम्नांकित तिथियां सुझाई गई हैं:-

8 मार्च - अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

24 जनवरी - राष्ट्रीय बालिका दिवस

7. महिला सभा के बाद की पहलें

केवल कुछ महिला सभाओं का आयोजन करने से सभा-आयोजन के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। अनुवर्ती गतिविधियों को पूरा करना महत्वपूर्ण होगा ताकि महिला सभाओं में लिये गये निर्णयों को जी.पी.डी.पी में सम्मिलित किया जा सके और उसके बाद निर्णयों का क्रियान्वयन किया जा सके। जी.पी, इसे ठोस तरीके से करने के लिये निम्नलिखित गतिविधियां सुनिश्चित कर सकती है:-

- महिला सभा में हुए विचार-विमर्श के बिंदुओं एवं निर्णयों का अभिलेखन औपचारिक कार्यवाहियों के रूप में होगा तथा इन्हें उपयुक्त कार्रवाइयों के लिये जी.पी की अगली आम सभा बैठक में उठाया जायेगा।
- जी.पी, इन कार्यवाहियों को विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के लिये ग्राम सभा में भी प्रस्तुत करेगी।
- महिला सभा में लिये गये निर्णयों को जी.पी की संबंधित स्थायी समितियों तथा संबंधित लाइन विभागों के पास उपयुक्त कार्रवाइयों के लिये भेजा जायेगा।
- जी.पी, महिला सभा द्वारा सुझाई गई गतिविधियों को प्राथमिकता देगी, उपयुक्त बजटीय प्रावधान करेगी तथा इन गतिविधियों को तैयार की जा रही जी.पी.डी.पी में सम्मिलित करेगी।
- महिला सभा की सदस्यां, विशेष रूप में महिला एस.एच.जी सदस्यों को महिला सभाओं के दौरान सामूहिकता से उठाये गये मुद्दों एवं इन पर लिये गये निर्णयों को ग्राम सभा में प्रस्तुत करना चाहिये ताकि इन पर भावी कार्यवाही की जा सके।
- जी.पी को महिला सभाओं की कार्यसाधकता सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये। महिला एस.एच.जी, महिला अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ताओं और महिला एवं बाल विकास स्थायी समितियों के सदस्यों को जी.पी शासकीय प्रणाली में महिला सभा को संस्थागत स्वरूप देने में अपनी-अपनी कार्यगत भूमिकाओं का निर्वहन भी करना चाहिये।

अनुलग्नक 1: ग्राम पंचायतों में महिला सभा को संस्थागत स्वरूप देने हेतु रोल-आउट योजना

जिला स्तर

1. महिला सभायें आयोजित करने के विषय पर संबंधित लाइन विभाग के पदाधिकारियों तथा जी.पी के साथ जिला-स्तर पर अनुस्थापन कार्यक्रम।
2. महिला सभा संचालित करने के लिये जी.पी को समग्र मार्गदर्शन एवं समर्थन।
3. प्रगति की निगरानी तथा आवधिक समीक्षा करना।

ग्राम पंचायत स्तर

1. विषय-9: 'महिला हितैषी ग्राम' को हस्तक्षेप के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में प्राथमिकता देने के लिए ग्राम सभा और जी.पी बैठक में शीघ्रातिशीघ्र प्रतिज्ञा (संकल्प) लेना।
2. सभी जी.पी सदस्यों, संबंधित स्थायी समितियों, महिला एस.एच.जी/ग्राम एस.एच.जी समूह, किशोर समूहों/दलों, अग्रिमपंक्ति के कार्यकर्ताओं (शिक्षकों, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ए.एन.एम, इत्यादि), एस.एच.जी सुविधाकर्ता/आर.पी, गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) और अन्य सी.बी.ओ के साथ मिलकर महिला सभाओं के आयोजन पर जी.पी-स्तरीय का एकजुटता कार्यक्रम।
3. जी.पी, महिला सभा की गतिविधियों को सरल-सुविधाजनक बनाने के लिये जी.पी एवं महिलाओं के समूहों के मध्य संपर्क/समन्वयक के रूप में एक उपयुक्त व्यक्ति, अधिमानित रूप में एक सक्रिय महिला (महिला एवं बाल विकास के लिए उत्तरदायी स्थायी समिति की अध्यक्ष, या किसी भी अन्य निर्वाचित सदस्य, या महिला एस.एच.जी/ग्राम-स्तरीय संघ के सदस्यों की अध्यक्ष) का चयन/नामांकन कर सकती है।
4. महिला सभा की अवधारणा को समझाने के लिए महिलाओं और किशोरियों को एकजुट करने के जागरूकता अभियानों (सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्वास्थ्य जागरूकता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम) जैसी 'प्रारंभ बिंदुवार गतिविधियों' का संचालन।
5. यह सुनिश्चित करने के लिये महिला एस.एच.जी को एकजुट करना कि वे और उनके रहवास की अन्य महिलायें महिला सभा में भागीदारी करें।
6. बैठक के दौरान समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला सभाओं के लिए दिनांक, स्थान, विषय, इत्यादि पर पर्याप्त समय पूर्व अग्रिम में जी.पी क्षेत्र में विशिष्ट अभियान (जैसे माइकिंग, पैम्फलेट वितरण, घर-घर भ्रमण, इत्यादि)। लाइन विभागों को सूचित करना और उनसे बैठक के दौरान उपस्थित रहने का अनुरोध करना।
7. की गईं कार्यवाहियों/लिये गये निर्णयों के सरलीकरण एवं प्रलेखन के समर्थन सहित दिशानिर्देशों के अनुसार महिला सभाओं का संचालन।
8. महिला सभाओं में लिये गये निर्णयों पर ग्राम पंचायत बैठक एवं ग्राम सभा में विचार-विमर्श करना और जी.पी.डी.पी में प्राथमिकता आधारित महिला-केंद्रित गतिविधियां सम्मिलित करना तथा इस हेतु उपयुक्त बजट आबंटित करना।
9. क्रियान्वयन की प्रगति पर जिला और ब्लॉक प्राधिकारियों को अद्यतन जानकारी देना और उनसे बाधाओं, यदि कोई बाधा हो, को दूर करने की विनती करना।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन